# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2020/1115 दिनांक : 19/01/2021

## कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक दिनांक 12-01-2021 को सांय 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री भास्कर ए.सावंत | अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पवन अरोडा | आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर | सदस्य |
| 3. | श्री लेखराज जागृत | निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर | सदस्य |
| 4. | श्री नत्थू राम | अति0मु0 अभियंता-प्रथम, राज0आवा0मण्डल, जयपुर | सदस्य |
| 5. | श्री के.एस. चौधरी | अति0मु0 अभियंता-द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जोधपुर | सदस्य |
| 6. | श्री संजय पूनिया | अति0मु0 अभियंता-तृतीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर | सदस्य |
| 7. | श्रीमती प्रीति सिंह पंवार | कार्यवाहक मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राज0आ0मं0, जयपुर | सदस्य सचिव |

**बैठक में विशेष आमन्त्रित निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :-**

1. श्रीमती रेखा भास्कर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
2. श्री सन्त सरण (प्रतिनिधि), अति. मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. श्री के.एस.ढाका, उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
4. श्री जे.एस. बुगालिया, उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर
5. श्री अमित अग्रवाल, उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर/वृत्त-अलवर।
6. श्री करणराज जींगर, उप आवासन आयुक्त, वृत-द्वितीय, रा0आ0म0, जोधपुर।
7. श्री आर.एम.कुरैशी (प्रतिनिधि), उप आवासन आयुक्त, वृत-कोटा, रा0आ0म0, कोटा।
8. श्री जी.एस.भाटी (प्रतिनिधि), उप आवासन आयुक्त, वृत-उदयपुर।

| बिन्दु संख्या | विचार बिन्दु | निर्णय | कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| 1- | विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20-03-2010 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत। | विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20-03-2020 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी। | CEM |
| 2- | सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20-03-2020 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। | सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20-03-2020 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है। | CEM |
| 3 | संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार की आज्ञा क्रमांक प.8(12)नविवि/2020 जयपुर दिनांक 08-07-2020 की पालना में मण्डल द्वारा प्लॉट नंम्बर 4-सी-8, सेक्टर-4, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 3368.70 वर्ग मीटर भूमि मुख्य निर्वाचन अधिकारी | संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार की आज्ञा क्रमांक प.8(12)नविवि/2020 जयपुर दिनांक 08-07-2020 की पालना में मण्डल द्वारा प्लॉट नंम्बर 4-सी-8, सेक्टर-4, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 3368.70 वर्ग मीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 1332 दिनांक | DHC-III, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कार्यालय, राजस्थान एवं रीजनल स्वीप सेन्टर, भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। | 08–07–2020 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, राजस्थान एवं रीजनल स्वीप सेन्टर, भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय,जयपुर के द्वारा जारी आवंटन पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 08–07–2020 एवं भौतिक कब्जा दिनांक 09–07–2020 को देने की सर्व सम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। | |
| 4 | सेन्ट विल्फ्रेड एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर के द्वारा मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ–प्राईमरी स्कूल व होस्टल हेतु 1300 वर्ग मीटर भूमि आवेदन किया गया। उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर के सेक्टर–8 अरावली मार्ग के पीछे स्थित रोड़ पर भूखण्ड संख्या 8-O-1 जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ–प्राईमरी स्कूल व होस्टल हेतु आवंटन हेतु उपलब्ध बताया है। उक्त भूखण्ड ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित बताते हुए प्राईमरी स्कूल के लिए आवंटित किये जाने का उल्लेख किया है। सेन्ट विल्फ्रेड एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर को मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर के सेक्टर–8 अरावली मार्ग के पीछे स्थित रोड़ पर भूखण्ड संख्या 8-O-1 जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ–प्राईमरी स्कूल व होस्टल हेतु आवंटन का प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 26–11–2020 के अनुसार स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने के लिए प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार सेन्ट विल्फ्रेड एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर को मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर के सेक्टर–8 अरावली मार्ग के पीछे स्थित रोड़ पर भूखण्ड संख्या 8-O-1, क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ–प्राईमरी स्कूल व होस्टल हेतु मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1037(iii)/1043 दिनांक 03–07–2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियों को वसूल करते हुए सर्व सम्मति से आवंटन करने एवं प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 26–11–2020 के अनुसार स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। | DHC-II, Jaipur |
| 5 | मण्डल की सम्पत्ति आवंटन की समिति बैठक दिनांक 20–03–2020 के निर्णय बिन्दु संख्या–13 में दी इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, राजस्थान चैप्टर, जयपुर को मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में संस्थानिक | मण्डल की सम्पत्ति आवंटन की समिति बैठक दिनांक 20–03–2020 के निर्णय बिन्दु संख्या–13 में दी इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, राजस्थान चैप्टर, जयपुर को मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में संस्थानिक भूखण्ड | DHC-II, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | भूखण्ड संख्या–ई क्षेत्रफल 1490.89 वर्ग मीटर आवंटन का निर्णय लिया गया। संस्था को भूमि आवंटन की पत्रावली स्वीकृति हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को भिजवायी गयी। माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा संस्था को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसकी पालना में संस्था को 1000.68 वर्ग मीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 2090 दिनांक 19–12–2020 को जारी किया गया। अतः दी इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, राजस्थान चैप्टर, जयपुर को मानसरोवर आवासीय योजना में 1490.89 वर्ग मीटर संस्थानिक भूमि के स्थान पर 1000.68 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है। | संख्या–ई क्षेत्रफल 1490.89 वर्ग मीटर आवंटन का निर्णय लिया गया। संस्था को भूमि आवंटन की पत्रावली स्वीकृति हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को भिजवायी गयी। माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा संस्था को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसकी पालना में संस्था को 1000.68 वर्ग मीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 2090 दिनांक 19–12–2020 को जारी किया गया। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की गयी। | |
| 6 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा श्रीमती रूची चौहान एवं श्री मुकेश चौहान को आवंटित फ्लैट संख्या 10/955, मालवीय नगर, जयपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 45.5179 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भूमि में सिवर लाईन आदि है। भू–पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावे का उल्लेख किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 10/955 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती रूची चौहान एवं श्री मुकेश चौहान को आवंटित फ्लैट संख्या 10/955, मालवीय नगर, जयपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 45.5179 वर्ग मीटर भूमि को कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार एवं प्रस्तावित भूमि में सिवर लाईन आदि होने के कारण भू–पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाने की शर्त पर सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-III, Jaipur |
| 7 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा श्री शेखर चन्द्र सिंह को आवंटित आवास संख्या 6/358, मालवीय नगर, जयपुर के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 61.20 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भूमि निर्मित पक्के नाले के | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री शेखर चन्द्र सिंह को आवंटित आवास संख्या 6/358, मालवीय नगर, जयपुर की साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 61.20 वर्ग मीटर भूमि वर्तमान सड़क के मार्ग अधिकार को यथावत व आवास संख्या 6/358 एवं नाले | DHC-III, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | साथ लगती हुई है व सड़क की चौड़ाई निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि मौके पर वर्तमान सड़क के मार्ग अधिकार को यथावत रखते हुए प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या. 6/358 के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | के मध्यम सड़क की चौड़ाई असमान रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | |
| 8 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा श्री रणवीर सिंह को आवंटित फ्लैट संख्या 10/701, मालवीय नगर, जयपुर के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 22.47 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्तमान में उक्त भू–पट्टी पर आवंटी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्राप्त प्रस्तावानुसार फ्लैट संख्या 10/701 के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री रणवीर सिंह को आवंटित फ्लैट संख्या 10/701, मालवीय नगर, जयपुर के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 22.47 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा कब्जा कर कम्पाउण्ड वॉल निर्मित कर प्रथम एवं द्वितीय तल तक पक्का निर्माण कर अपने अधिकार में ले रखा है एवं दरवाजा भी लगा रखा है। प्रस्तावित भूमि का आवंटन मौका रिपोर्ट अनुसार सड़क की चौड़ाई यथावत रखते हुए एवं अनाधिकृत निर्माण होने पर कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17–08–2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-III, Jaipur |
| 9 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जोधपुर के द्वारा श्री श्याम सिंह लोढ़ा को आवंटित आवास संख्या 17/795, चौपासनी योजना, जोधपुर के पासं उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी साईज 0.50X(0.00+9.30)x18.00= 83.70 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 17/795 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जोधपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री श्याम सिंह लोढ़ा को आवंटित आवास संख्या 17/795, चौपासनी योजना, जोधपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 83.70 वर्ग मीटर त्रिभूजाकार खाचा भूमि सड़क सीमा से लगती हुई होने से आवास SDC श्रेणी में हो जायेगा। जिसका नियमानुसार चार्ज वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-II, Jodhpur |
| 10 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जोधपुर के द्वारा श्रीमती सुरेन्द्र कुमारी | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जोधपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत | DHC-II, Jodhpur |

150

| | | | |
|---|---|---|---|
| | आसोपा को आवंटित आवास संख्या 17/745, चौपासनी योजना, जोधपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी साईज 0.50X(0.00+9.00)x18.00= 81.00 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 17/745 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | प्रस्तावानुसार श्रीमती सुरेन्द्र कुमारी आसोपा को आवंटित आवास संख्या 17/745, चौपासनी योजना, जोधपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 81.00 वर्ग मीटर त्रिभूजाकार भूमि सड़क सीमा से लगती हुई होने से आवास SDC श्रेणी में हो जायेगा। जिसका नियमानुसार चार्ज वसूल करते हुए एवं सड़क की चौड़ाई सुनिश्चित करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/ 150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | |
| 11 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर के द्वारा श्रीमती नीतु जोशी को आवंटित आवास संख्या 16/523, चौपासनी योजना, जोधपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी साईज 0.50X(2.50+4.00)x18.00= 58.50 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 16/523 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती नीतु जोशी को आवंटित आवास संख्या 16/523, चौपासनी योजना, जोधपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 58.50 वर्ग मीटर के आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए एवं सड़क की चौड़ाई सुनिश्चित करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/ 150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-II, Jodhpur |
| 12 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्री मनोज कुमार पाण्डेय को आवंटित आवास संख्या 1/6, अरावली विहार, भिवाड़ी के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी 135.00 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। **आवेदक की पत्रावली लम्बे समय से भू-पट्टी हेतु चलन में होने के कारण राशि रू. 25000/- जमा नहीं करवायी गयी है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 1/6 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भिवाड़ी एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्री मनोज कुमार पाण्डेय को आवंटित आवास संख्या 1/6, अरावली विहार, भिवाड़ी के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 135.00 वर्ग मीटर भूमि सड़क से लगती हुई होने से आवास संख्या SDC श्रेणी में होने जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए एवं सड़क की चौड़ाई सुनिश्चित करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/ 150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-Alwar |
| 13 | आवासीय अभियन्ता, खण्ड-डूंगरपुर/ उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर के | आवासीय अभियन्ता, खण्ड-डूंगरपुर/ उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर के द्वारा | DHC-III, Udaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | द्वारा श्री गौरव सिंह को आवंटित आवास संख्या 3–बी–07, आवासीय योजना डूंगरपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 2.15+9.85/2x11.25= 67.50 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 3–बी–07 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री गौरव सिंह को आवंटित आवास संख्या 3–बी–07, आवासीय योजना डूंगरपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 67.50 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गयां। | |
| 14 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा के द्वारा श्री श्याम मनोहर आचार्य को आवंटित आवास संख्या 1–न–10, दादा बाड़ी योजना, कोटा के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी साईज 5.95x15.30= 91.035 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी पर वर्तमान में बाउण्ड्री का निर्माण कर कब्जा हुआ है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 1–न–10 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06--2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री श्याम मनोहर आचार्य को आवंटित आवास संख्या 1–न–10, दादा बाड़ी योजना, कोटा के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 91.035 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा बाउण्ड्रीवाल निर्मित कर कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17–08–2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूलनीय है। अतिरिक्त भू–पट्टी सड़क से लगती हुई होने से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए एवं सड़क की चौड़ाई यथावत रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन करने का सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया। | DHC-Kota |
| 15 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा के द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को आवंटित आवास संख्या 1 / 141 कार्नर, झालरापाटन योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 103.20 वर्ग मीटर के आवटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी पर वर्तमान में बाउण्ड्री का निर्माण कर कब्जा हुआ है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 1 / 141 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को आवंटित आवास संख्या 1 / 141 कार्नर, झालरापाटन योजना के पास उपलब्ध त्रिभुजाकार अतिरिक्त भू–पट्टी माप 103.20 वर्ग मीटर भूमि जो आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए एवं सड़क की चौड़ाई यथावत रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-Kota |

151

| | | | |
|---|---|---|---|
| | निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | | |
| 16 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा श्री विनोद सैनी को आवंटित आवास संख्या 10/27, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी माप 54.93 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 10/27 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री विनोद सैनी को आवंटित आवास संख्या 10/27, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी माप 54.93 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-I, Jaipur |
| 17 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा को आवंटित आवास संख्या 10/25, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी माप 65.70 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 10/25 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री अनिल कुमार शर्मा को आवंटित आवास संख्या 10/25, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पीछे स्थित अतिरिक्त भू–पट्‌टी माप 65.70 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-I, Jaipur |
| 18 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा श्री कजोड़ सिंह को आवंटित आवास संख्या 33/02, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी माप 78.60 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 33/02 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री कजोड़ सिंह को आवंटित आवास संख्या 33/02, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी माप 78.60 वर्ग मीटर भूमि आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए एवं सड़क की चौड़ाई को यथावत रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-I, Jaipur |
| 19 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा श्री रमेश चन्द गुप्ता को आवंटित आवास संख्या 63/214, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी माप 75.60 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री रमेश चन्द गुप्ता को आवंटित आवास संख्या 63/214, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्‌टी माप 75.60 वर्ग मीटर | DHC-I, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 63/214 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | भूमि आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए व सड़क की चौड़ाई को यथावत रखते हुए एवं मौके पर स्थापित ट्रांसफार्मर के पास नियमानुसार सुरक्षा हेतु भूमि छोड़ते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/ 150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | |
| 20 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर के द्वारा श्रीमती शांति शर्मा को आवंटित आवास संख्या 10/24, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 83.70 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 10/24 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती शांति शर्मा को आवंटित आवास संख्या 10/24, प्रताप नगर सांगानेर योजना के पीछे स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 83.70 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/ 150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-I, Jaipur |
| 21 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर के द्वारा श्री विनोद कुमार पारीक को आवंटित आवास संख्या 69/186, मानसरोवर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 73.50 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा अतिरिक्त भूमि पर चार दीवारी का निर्माण कर कब्जा कर रखा है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 69/186 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री विनोद कुमार पारीक को आवंटित आवास संख्या 69/186, मानसरोवर योजना के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 73.50 वर्ग मीटर भूमि आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए एवं अनाधिकृत निर्माण होने पर कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17-08-2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए व सड़क की चौड़ाई को यथावत रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-II, Jaipur |
| 22 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर के द्वारा श्री राकेश कुमार सिरोहिया को आवंटित आवास संख्या 72/233, मानसरोवर योजना के पास वाटर हार्वेस्टिंग पाईप को छोड़ते हुए मौके पर उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 86.91 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री राकेश कुमार सिरोहिया को आवंटित आवास संख्या 72/233, मानसरोवर योजना स्थित मूल आवास एवं वाटर हार्वेस्टिंग पाईप लाईन के मध्य में स्थित प्रस्तावित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 86.[illegible] वर्ग मीटर भूमि आवंटन से आवास | DHC-II, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | है। आवंटी द्वारा अतिरिक्त भूमि पर तारबंदी कर कब्जा कर रखा है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 72/233 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए व सड़क की चौड़ाई को यथावत रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | |
| 23 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर के द्वारा श्रीमती सरिता चौधरी को आवंटित आवास संख्या 10/101, शिवसिंहपुरा योजना, सीकर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 55.125 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 10/101 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | आवासीय अभियन्ता, खण्ड-झुंझुनू एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती सरिता चौधरी को आवंटित आवास संख्या 10/101, शिवसिंहपुरा योजनां, सीकर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 55.125 वर्ग मीटर त्रिभूजाकार भूमि आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए व सड़क की चौड़ाई को यथावत रखते हुए मण्डल के मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-II, Jaipur |
| 24 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर के द्वारा श्री राहुल शर्मा को आवंटित आवास संख्या 5/एच/207-बी, इंदिरागांधी नगर योजना, जयपुर के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 77.70 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 5/एच/207-बी के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री राहुल शर्मा को आवंटित आवास संख्या 5/एच/207-बी, इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 77.70 वर्ग मीटर भूमि आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए व सड़क की चौड़ाई को यथावत रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/ 150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-III, Jaipur |
| 25 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर के द्वारा श्री बनवारी लाल मीणा को आवंटित आवास संख्या 1/136, खान भांकरी योजना, दौसा के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी माप 63.78 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 1/136 के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री बनवारी लाल मीणा को आवंटित आवास संख्या 1/136, खान भांकरी योजना, दौसा के पीछे स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी माप 63.78 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19-06-2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से | DHC-III, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | |
| 26 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा श्रीमती बीना देवी मीना को आवंटित आवास संख्या 1/134, खान भांकरी योजना, दौसा के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 63.78 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 1/134 के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती बीना देवी मीना को आवंटित आवास संख्या 1/134, खान भांकरी योजना, दौसा के पीछे उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 63.78 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-III, Jaipur |
| 27 | आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं प्रमुख शासन सचिव, जनजाति विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जोधपुर के नवीन कार्यालय भवन/जनजाति बालक छात्रावास, बहुउद्देशीय छात्रावास के भवन निर्माण/जनजाति छात्रावास में आवासरत छात्रों को खेल सुविधाये विकसित कर उपलब्ध करवाये जाने हेतु मण्डल की कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना, जोधपुर के सेक्टर–5 में उपलब्ध ओसीएफ तथा आरक्षित भूमि में से क्रमश 1573.10 तथा 4204.60 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।<br><br>उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जोधपुर के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जोधपुर के नवीन कार्यालय भवन/जनजाति बालक छात्रावास, बहुउद्देशीय छात्रावास के भवन निर्माण/जनजाति छात्रावास में आवासरत छात्रों को खेल सुविधाये विकसित कर उपलब्ध करवाये जाने हेतु लगभग 5777.70 वर्ग मीटर भूमि नियमानुसार कीमत पर आवंटन | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जोधपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जोधपुर के नवीन कार्यालय भवन/जनजाति बालक छात्रावास, बहुउद्देशीय छात्रावास के भवन निर्माण/जनजाति छात्रावास में आवासरत छात्रों को खेल सुविधाये विकसित कर उपलब्ध करवाये जाने हेतु मण्डल की कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना, जोधपुर के सेक्टर–5 में उपलब्ध ओसीएफ तथा आरक्षित भूमि में से क्रमश 1573.10 तथा 4204.60 वर्ग मीटर कुल 5777.70 वर्ग मीटर भूमि नियमानुसार कीमत पर आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।<br><br>प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्रश्नगत प्रथम भूमि माप 1573.10 वर्ग मीटर भूमि नियोजन शाखा में उपलब्ध मानचित्र के अनुसार O.C.F. उपयोग हेतु बतायी गयी है। भूमि अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), राजस्थान सरकार को आवंटित की जा सकती है तथा दूसरी प्रस्तावित 4204.60 वर्ग मीटर भूमि जो कि Reserved है, को परियोजना समिति से संस्थानिक उपयोग हेतु अनुमोदन पश्चात् की शर्त पर आवंटन किये जाने का | DHC-I, Jodhpur |

(153)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | हेतु प्रस्तुत किया है।<br><br>राज्य सरकार द्वारा जारी नई भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 की सारिणी संख्या–3 सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार छात्रावास हेतु संभागीय मुख्यालय पर 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का उल्लेख किया हुआ है एवं संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29–04–2020 के अनुसार राजकीय विभागों को कार्यालय हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का उल्लेख किया गया है।<br><br>प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा ओसीएफ उपयोग हेतु बतायी गयी है एवं दूसरी प्रस्तावित भूमि जो कि रिंजर्व है, को परियोजना समिति से संस्थानिक उपयोग हेतु अनुमोदन के पश्चात् की शर्त पर आवंटन किया जाने उल्लेख किया है।<br><br>प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 26–11–2020 के अनुसार स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने के लिए प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | उल्लेख किया है।<br><br>राज्य सरकार द्वारा जारी भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 की सारिणी संख्या–3 के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड के बिन्दु संख्या 7 के अर्न्तगत छात्रावास हेतु संभागीय मुख्यालय पर 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का उल्लेख किया हुआ है एवं संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29–04–2020 के अनुसार राजकीय विभागों को कार्यालय हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का उल्लेख किया गया है।<br><br>आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं प्रमुख शासन सचिव, जनजाति विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जोधपुर के नवीन कार्यालय भवन/जनजाति बालक छात्रावास, बहुउद्देशीय छात्रावास के भवन निर्माण/जनजाति छात्रावास में आवासरत छात्रों को खेल सुविधाये विकसित करने हेतु मण्डल की कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना, जोधपुर के सेक्टर–5 में उपलब्ध ओसीएफ तथा आरक्षित भूमि में से क्रमश 1573.10 तथा 4204.60 वर्ग मीटर कुल 5777.70 वर्ग मीटर भूमि मण्डल द्वारा निर्धारित आरक्षित दर व अन्य देय राशि वसूलते हुए तथा भूमि आवंटन नीति–2015 में दिये गये प्रावधान से अधिक होने एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 26–11–2020 के अनुसार स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का व राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया। | |
| 28 | श्री भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा के पिताजी श्री कैलाश चन्द शर्मा ने सामान्य पंजीकरण योजना 1982 में मध्यम आय वर्ग 'ब' आवास के लिए पंजीकरण करवाया था। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 04.07.1994 को हो गया था। दिनांक 06.09.1999 को आरक्षण पत्र जारी कर पूर्व | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा को मण्डल की प्रताप नगर योजना, सांगानेर, जयपुर में अवमानना प्रकरण संख्या–10/2016 श्री भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा बनाम अध्यक्ष, राजस्थान आवासन | DHC-I, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ग्रहण राशि की तीन किश्ते जमा करवाने हेतु आवेदक के पिता को पत्र जारी किया गया लेकिन परिवादी की मृत्यु हो चुकी थी। उसे यह नोटिस प्राप्त नही हुआ अतः किश्ते जमा न होने से इस कार्यालय के द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी का न्यायालय में यह कथन था कि उसने दिनांक 20.11.1999 को मंडल को पत्र लिखकर उसके पिता की मृत्यु दिनांक 04.07.1994 को होने तथा पंजीकरण उसके नाम हस्तान्तरित करने को कहा किन्तु दिनांक 13.12.2004 के आदेश से मंडल ने उसके पिता का पंजीकरण निरस्त कर दिया। प्रार्थी ने निरस्तीकरण से पूर्व भी दिनांक 09.06.2003 को पत्र देकर मृत्यु की सूचना दी थी एवं पंजीकरण उसके पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। अतः माननीय जिला मंच ने मंडल का सेवादोष मानते हुए दिनाक 10.07.2014 को पूर्व वरीयता के आधार पर नियमानुसार आवास आवंटित करने के आदेश प्रदान किये जिसकी अपील मण्डल के द्वारा राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग में की गई लेकिन दोनों जगह खारिज हो गई अतः माननीय मंच के निर्णय की पालनां करते हुए प्रार्थी को दिनांक 24.12.2016 को झेलम अपार्टमेन्ट में फ्लैट सं. –28/बी/एफ–1/23 का आवंटन करते हुए पत्र क्रमांक 8279 दिनांक 21. 12.2016 के द्वारा आवंटन पत्र जारी किया गया।<br><br>प्रार्थी को स्वतंत्र आवास के स्थान पर फ्लैट आवंटित किये जाने पर माननीय मंच में अवमानना प्रकरण संख्या–10/2016 तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन एवं उप आवासन आयुक्त श्री कल्याण प्रसाद के विरूद्व दायर किया है अवमानना प्रकरण में दिनांक 05.06.2017 को माननीय जिला मंच द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि विपक्षीगण के स्तर पर प्रथम दृष्टया आदेश की अवहेलना की गई है। इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध अवमानना के लिए धारा 27 के तहत प्रसज्ञान | मण्डल व अन्य में माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, चतुर्थ, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–06–2017 की पालना में मध्यम आय वर्ग–ब के उपलब्ध दो स्वतंत्र आवास संख्या 22–ज–6 एवं 22–बी–36 में से एक आवास वृत्त स्तर से लॉटरी के माध्यम से आवंटित करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है। | |

लिया जाता है।

इस निर्णय के विरूद्व राज्य आयोग में रिविजन पिटिशन सं. –69/2017 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 01.08.2017 को हुआ जिसमें वारंट के स्थान पर सम्मन के द्वारा मंच चतुर्थ जयपुर के समक्ष उपस्थित होने के लिए संशोधित किया गया। अवमानना प्रकरण में भी एस.सी. सेठी अधिवक्ता नियुक्त थे दिनांक 20.05.2019 को जिला उपभोक्ता मंच चतुर्थ की ओर से थाना प्रताप नगर, जयपुर के माध्यम से दिनांक 29.05.2019 को उपस्थित होने के लिए सम्मन श्री कल्याण प्रसाद को जारी किंया गया।

श्री कल्याण प्रसाद का स्थानान्तरण व पदोन्नति अति. मुख्य अंभियता के पद पर हो जाने के कारण उन्होने इस वाद में नियुक्त नए अधिवक्ता श्री पी. एस. तोमर के माध्यम से उनका नाम अवमानता प्रकरण से डिलीट करने का निवेदन किया किया है। तत्कालीन उप आवासन आयुक्त श्री कल्याण प्रसाद के द्वारा प्रार्थी के आय वर्ग मध्यम आय वर्ग 'ब' का स्वतंत्र आवास उपलब्ध न होने का शपथ पत्र माननीय जिला मंच के समक्ष दिया हुआ है।

**वर्तमान में इस वृत कार्यालय के अधीन सेक्टर–22 प्रताप नगर में दो स्वतंत्र आवास निरस्तीकरण से उपलब्ध हुए है जिन के नं.–22–ज–6 एवं 22–बी–36 है। प्रार्थी को इन दो आवासों में से एक का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जा सकता है एवं माननीय न्यायालय के द्वारा अवमानना के क्रम में लिए गए प्रसंज्ञान से बचा जा सकता है। उक्त अवमानना वाद में अगली तारीख पेशी दिनांक 15.04.2020 को नियत थी।**

अतः माननीय न्यायालय के द्वारा अवमानना के क्रम में लिए गए प्रसंज्ञान के क्रम में प्रार्थी को प्रताप नगर योजना में उपलब्ध दो स्वतंत्र मध्यम आय वर्ग 'ब' के आवासो मे से एक आवास आवंटित किये जाने हेतु

| | | | |
|---|---|---|---|
| | प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | | |
| टेबल एजेंडा 1 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा श्री उमाशंकर मीणा को आवंटित आवास संख्या 65/591, प्रताप नगर सांगानेर योजना, जयपुर के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 106.50 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 65/591 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री उमाशंकर मीणा को आवंटित आवास संख्या 65/591, प्रताप नगर योजना सांगानेर,, जयपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 106.50 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-I, Jaipur |
| टेबल एजेंडा 2 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा श्री जगदीश प्रसाद रामावत को आवंटित आवास संख्या 72/234, मानसरोवर योजना, जयपुर के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 90.00 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी पर तारबंदी कर कब्जा कर रख है। प्राप्त प्रस्तादानुसार आवास संख्या 72/234 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमाक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री जगदीश प्रसाद रामावत को आवंटित आवास संख्या 72/234, मानसरोवर योजना, जयपुर के पास अतिरिक्त भू–पट्टी माप 90.00 वर्ग मीटर भूमि मूल आवास एवं वाटर हार्वेस्टिंग पाईप लाईन के मध्य में स्थित भूमि आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-II, Jaipur |
| टेबल एजेंडा 3 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा श्री राजन सिंघल को आवंटित फ्लेट संख्या 22/23/2, मानसरोवर योजना, जयपुर के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 114.84 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), जयपुर द्वारा वाद संख्या 249/07 में पारित निर्णय दिनांक 21–03–2009 के अनुसार आवास के दक्षिण दिशा में 3 मीटर की गली छोड़ते हुए प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 72/234 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री राजन सिंघल को आवंटित फ्लेट संख्या 22/23/2, मानसरोवर योजना, जयपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 114.84 वर्ग मीटर भूमि सड़क की चौड़ाई रखते हुए माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), जयपुर द्वारा वाद संख्या 249/07 में पारित निर्णय दिनांक 21–03–2009 के अनुसार आवास के दक्षिण दिशा में 3 मीटर चौड़ाई में गली छोड़ते हुए आवंटन से आवास SDC श्रेणी का हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के | DHC-II, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | दिनांक 19–06–2020 की शर्तो के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | |
| टेबल एजेंडा 4 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा श्री मोती लाल शर्मा को आवंटित आवास संख्या 113/325, मानसरोवर योजना, जयपुर के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 42.97 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा प्रस्तावित भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण किया हुआ है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 113/225 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19.06.2020 की शर्तो के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री मोती लाल शर्मा को आवंटित आवास संख्या 113/325, मानसरोवर योजना, जयपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 42.97 वर्ग मीटर भूमि आवंटन से आवास SDC श्रेणी में हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए एवं आवंटी द्वारा प्रस्तावित भूमि पर कब्जा कर अनाधिकृत पक्का निर्माण किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17–08–2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए व सड़क की चौड़ाई को यथावत रखते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तो के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-II, Jaipur |
| टेबल एजेंडा 5 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा श्री नन्द किशोर स्वर्णकार को आवंटित फ्लेट संख्या 10/699, मालवीय नगर योजना, जयपुर के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 32.80 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा अतिरिक्त भूमि पर कम्पाउण्डवाल बनाकर पक्का निर्माण कर अपने अधिकार में ले रखा है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 10/699 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तो के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री नन्द किशोर स्वर्णकार को आवंटित फ्लेट संख्या 10/699, मालवीय नगर योजना, जयपुर के साईड में उपलब्धं अतिरिक्त भू–पट्टी माप 32.80 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा पक्का निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17–08–2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए एवं भू–पट्टी आवंटन से आवास SDC हो जाने के कारण नियमानुसार चार्ज वसूलते हुए व रास्ता यथावत रखते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-III, Jaipur |
| टेबल एजेंडा 6 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा न्यू ब्राईट लैण्ड पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर को महाविद्यालय/विद्यालय हेतु मण्डल की इंदिरा गांधी नगर आवासीया योजना के सेक्टर–7 में 2275.00 वर्ग मीटर भूमि वर्तमान आरक्षित दर तथा | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार न्यू ब्राईट लैण्ड पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर को महाविद्यालय/विद्यालय हेतु मण्डल की इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना के सेक्टर–7 में 2275.00 वर्ग मीटर | DHC-III, Jaipur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अन्य नियमानुसार देय शुल्क पर आवंटन का प्रस्ताव सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 की सारिणी संख्या–1 के उप बिन्दु 1 से 3 के अनुसार संभागीय मुख्यालय पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्ग मीटर, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 4000 एवं महाविद्यालय हेतु 10000 वर्ग मीटर आवंटन का प्रावधान दिया है।<br><br>न्यू ब्राईट लैण्ड पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर को महाविद्यालय/ विद्यालय को इंदिरागांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर–7 शैक्षणिक प्रयोजनार्थ–महाविद्यालय/विद्यालय हेतु आवंटन का प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 26–11–2020 के अनुसार स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने के लिए प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | भूमि वर्तमान आरक्षित दर तथा अन्य नियमानुसार देय शुल्क पर आवंटन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा अनुसार संस्थागत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र अ में महाविद्यालय/विद्यालय संचालन हेतु उल्लेख किया है किन्तु विद्यालय का स्तर का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को सर्व सम्मति से स्थगित (DEFFER) करने का निर्णय लिया गया है। | |
| टेबल एजेंडा 7 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा श्री नन्द किशोर स्वर्णकार को आवंटित फ्लेट संख्या 5/320, मालवीय नगर योजना, जयपुर के पीछे उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 105.187 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजन द्वारा प्रस्तावित भूमि एवं नाले के बीच बफर जोन छोड़ते हुए उक्त भू–पट्टी आवंटन की सहमति व्यक्ति की है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 5/320 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। | उप आवासन आयुक्त, वृत्त–ततीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री राम किशोर मीणा को आवंटित फ्लेट संख्या 5/320, मालवीय नगर योजना, जयपुर के पीछे उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 105.187 वर्ग मीटर भूमि प्रश्नगत फ्लेट एवं नाले के बीच बफर जोन छोडते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। | DHC-III, Jaipur |

156

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

**नोटः–** नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 29–04–2020 एवं 26–11–2020 के अनुसार संस्थागत भूमि आवंटन के निर्णयों के पश्चात् राज्य सरकार का अनुमोदन/स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात् ही आवंटन से सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक
सदस्य सचिव (पीएसी)

*प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–*

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता–(मु0)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति0मु0अभि0–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज0आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त, वृत्त..................राजस्थान आवासन मण्डल, ..............।
10. आवासीय अभियंता ...................., राजस्थान आवासन मण्डल, ..................।
11. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक